कार्यवाही विवरण

मेसर्स श्री उमेश शर्मा लाईम स्टोन माईन, ग्राम–गोड़पेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में स्थित खदान खसरा क्रमांक 316 (पार्ट), 317/1, 317/2, 317/3 (पार्ट), 317/4 एवं 318/5, कुल लीज क्षेत्र 1.59 हेक्टेयर में चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–45,000 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 06.02.2021 को समय दोपहर–12:00 बजे, स्थल–शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर में ग्राम–ग्राम गोंड़पेन्ड्री, तहसील–पाटन जिला–दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेसर्स श्री उमेश शर्मा लाईम स्टोन माईन, ग्राम–गोड़पेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में स्थित खदान खसरा क्रमांक 316 (पार्ट), 317/1, 317/2, 317/3 (पार्ट), 317/4 एवं 318/5, कुल लीज क्षेत्र 1.59 हेक्टेयर में चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–45,000 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में समाचार पत्रों फाईनेंसियल एक्सप्रेस, नई दिल्ली दिनांक 04.01.2021 एवं नई दुनिया, रायपुर दिनांक 04.01.2021 में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 06.02.2021 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर में ग्राम– ग्राम गोंड़पेन्ड्री, तहसील–पाटन जिला–दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लू.सी.जेड) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राउण्ड फ्लोर ईस्ट विंग न्यू सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र), कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर, जिला–दुर्ग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला–दुर्ग, मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत गोंड़पेन्ड्री, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत छांटा, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सेलूद, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत अचानकपुर, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत महकाकला, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पहंडोर, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत घुघवा, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत राखी, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत रवेली, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत लोहरसी, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत फुण्डा, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत मानिकचौरी, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत चुनकट्टा, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत मुड़पार, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत ढौर, जिला–दुर्ग, मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन,सेक्टर–19 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला, भिलाई, जिला–दुर्ग में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के

दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कोई मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में कोई सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

उपरोक्त खदान की लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 06.02.2021 को दोपहर 12.25 बजे अपर कलेक्टर, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में स्थल–शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर में ग्राम–गोंड़पेन्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम अपर कलेक्टर, जिला दुर्ग द्वारा निर्धारित समय एवं तिथि पर लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् उद्योग की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री जगमोहन कुमार चन्द्रा द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

अपर कलेक्टर, जिला दुर्ग द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने परियोजना के संबंध में अपना पक्ष, सुझाव, टीका–टीप्पणियां दर्ज कराया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्रीमती त्रिवेणी बंजारे, जनपद सदस्य क्षेत्र कमाक–08, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ ग्राम में आए हुवे सभी ग्रामवासी का मैं स्वागत करती हूं। मैं त्रिवेणी बंजारे जनपद सदस्य क्षेत्र कमांक 08। जैसा कि अभी परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि शर्मा जी के खदान के लिए जितनी भी परियोजना प्रस्तावित की गई है वो पूर्ण होनी चाहिए। इसके लिए मैं सर को जितनी भी व्यवस्था गांव में होनी चाहिए। पानी, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुवे। वृक्षारोपण या कुछ भी कार्य अधूरा हुआ तो मैं दावा आपत्ति करूंगी। पर्यावरण को देखते हुवे सभी काम में फॉलो होना चाहिए।

2. **श्री प्रेमलाल सागरवंशी, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ जय जवान, जय किसान, जय छ.ग.। समस्त अधिकारीगण पर्यावरण संरक्षण मण्डल के अधिकारी, सरपंच ग्रामीणजनों का स्वागत करता हूं। स्टोन क्रशर मालिक खदान को संचालित कर रहे हैं। पर्यावरण को देखते हुवे नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जो ग्रामीणों की परेशानी का कारण बन गया है। हैवी ब्लास्ट से मकान की दिवार में

दरार पड़ना यह भी परेशानी का कारण है। खदान दिन प्रतिदिन गहरे होते जो रहे हैं। धूल से भरे रोड़ परेशानी के कारण बन गए है। गांव में बोर हैण्डपम्प पानी का स्तर कम होते जा रहा है। गर्मी के दिनों में पानी की परेशानी रहती है। धूल डस्ट गांव को वरदान साबित हो गया है। खाने में धूल डस्ट धूल से स्वास्थ्य में प्रभाव चर्म रोग से अधिकांश लोगों को परेशानी बनी रहती है। खदान तो दिन में संचालित होते हैं अच्छी बात है लेकिन रात में भी पत्थर तोड़ने की आवाज..पत्थर क्रशर खदान 15 सालों से शासन के नियम का पालन नहीं कर सके तो अब समझना कठीन है यह समझाना भी मुश्किल है पत्थर क्रशर खदान का कार्य पर्यावरण की समस्या और ग्रामीण समस्या की जानकारी ग्राम पंचायत की ओर से प्रतिवर्ष पत्थर क्रशर खदान से संबंधित सभी विभाग को जाना चाहिए ताकि पर्यावरण की समस्या एवं ग्रामीणों को समस्या न हो तो एनओसी दी जाए और अधिकतर जो हम आरोप करते हैं कि ग्रामीण किसान जमीन बेचे हैं और पंचायत स्तर के प्रतिनिधि उच्च स्तर पर बैठे अधिकारीगण पर एनओसी देने का आरोप प्रत्यारोप करते हैं। आरोप प्रत्यारोप करने से समस्या का हल नहीं होगा। माननीय महोदय से मेरा निवेदन है कि सही समीक्षा करके समस्या का समाधान करें जय हिन्द, जय छ.ग.।

3. **श्री उमेश कुमार यदु, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ आप सभी को मेरा नमस्कार। उद्योग को बढ़ावा मिलना चाहिए जैसे यहां खदान या कारखाना यहां स्थापित हो रहा है जिससे सबको रोजगार प्राप्त होगा। हर समस्या का निवारण किया जा सकता है आज बेरोजगारी बढ़ रही है लोगो को रोजगार मिलेगा मेरा कहना है उद्योग को बढ़ावा मिले जिससे गांव के व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। बस यही कहते हुए वाणी को विराम देता हूं।

4. **श्री उदय जोशी, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ हम लोगों को रात–दिन रोना ही रोना है। कल धूल उड़ा तो पानी डाल दिए 4 दिन बाद फिर बंद हो जाएगा। यह सब दिखावा का तरीका है जितने बड़े–बड़े उद्योगपति हैं काम मजदूरी करवाए 4 दिन बाद डंडा मार के भगा दिए और मजदूर कहां से लाते हैं दिल्ली, भोपाल, कलकत्ता बाहर के आदमियों को लाकर उद्योग चला रहे हैं। बड़े– बड़े अधिकारी बैठे हैं सब दिखावा है फिर अधिकारी कहां आएंगे अपने अपने ऑफिस, हमको क्या करना है वो लोग जाने। अधिकारियों को दिखाने के लिए पानी डाला जाता है उसके बाद क्या हुआ। सब दिखावा है धूल से हम बीमार पड़ रहे हैं। दूरी बनाओं कहते है।

5. **श्री नरोत्तम पाल, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ जोशी जी ने जो कहा मैं उनका समर्थन करता हूं । हर आदमी बोलता है हमको रोजगार मिले स्वस्थ होगे तभी रोजगार रहेगा, तब तो रोजगार करोगे दूसरी बात घर नहीं है तो रोजगार को क्या करोगे। पानी की समस्या है धूल डस्ट है 4 दिन पानी डालेंगे। आपका क्या है आए और चल दिए। समस्या हमको है रास्ता अच्छा बने इस प्रकार की समस्या है धन्यवाद।

6. **श्रीमती बहुरा केंवट , ग्राम– गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ गांव के लोग दारू महुवा पीकर जी रहे हैं, मर रहे हैं। दो सौ चार सौ में बेच रहे हैं। दारू पीकर अपने बच्चे को मारते हैं। ये सब बात बालने हम आये हैं। हमारे गांव का विकास नही हो रहा है। कमाण्डों वाले चार दिन घूम रहे थे। कमाण्डों वालो दारू पीने वालों से पैसो से मतलब है। नहाने के लिये तालाब में पानी नही है। सरपंच द्वारा गांव का विकास करने की बात कही जाती है जो गलत है।

7. **श्री मिट्ठूलाल जांगड़े, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मेरा विषय एक ही है सर की हमारे गांव को बिगाड़ने का जो अमुक सयान बने हुवे हैं उनका हांथ है क्योंकि जिस समय खदान खुलता है एनओसी के लिए आते हैं पहले पंचायत तो इस धूल मिट्टी को सोचते हुवे पहले गावं के पंचायत वाले सयान हैं। पहले सोचे नही कि गांव में धूल मिट्टी होगा पैसा जेब में आता है तो एनओसी देने का काम करते हैं धूल मिट्टी से प्रदूषण होता है तो गांव वालों को याद आता है जब खाने की बारी आती है तो जेब याद आता है तो जेब याद आता है। जो हमको रोजगार मिला है गांव में खदान खुलने से उस खदान को तो कभी बंद नहीं होना चाहिए। धूल डस्ट से और प्रदूषण होना चाहिए। हमारे गांव को बिगाड़ने का तरीका गांव के सरपंच लोगों का है क्यों कि हम एनओसी नही देते तो हमारे गांव मे धूल मिट्टी नहीं होता। दूसरी बात हमको मजदूरी मिलता है तो मजदूरी को छिनने की बात कह रहे हैं इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि उमेश का काम बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे गांव को बिगाड़ने का तरीका हमारे गांव वालों का है। 2 लाख 4 लाख देकर एनओसी देने का कार्य हुआ है इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि हमारे गांव का खदान चालू करना एलॉव किया जाए।

8. **श्रीमती रामेश्वरी बाई, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं शर्मा खदान में मैं काम करती हूं। मुझे रोजगार मिला है। यह खदान बन्द नही होना चाहिए।

9. **श्री धनंजय वर्मा, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं एक छोटा सा किसान हूं समस्या हम सबको विकट है मेरे कहने से यदि खदान बद हो जाये तो अच्छी बात है आज भी मेरे प्रश्न और जवाब वही है यदि मै बोलू तो खदान बंद नही हो सकता। सभी यही बात कह रहे हैं– धूल डस्ट उडथे दू दिन दिखाये बर खदान मालिक मन ह सीमेण्ट फैक्ट्री हो गे डामर फैक्ट्री हो गे इहां । इहां जमीन ल तो हमन बचे डारेन ओखरे कर जमीन ल बेचके ओखरे कर नौकरी करथन अभी तक एक झन बोलत रिहिस खदान नहीं बंद होना चाहिए काबर आअेला उहां रोजगार मिले हे लेकिन जो शासन के नियम के तहत जो भी नियम हे ओखर पालन होना चहिए। कैसे हो ही, सही मूल्यांकन होना चाहिए करके बताए जाए उचित रही लेकिन उहु मन ल सोचना चहिए दू दिन होगे अधिकारी कर्मचारी मन के सामने नाटक लगाए हे अउ ज्यादा नही बोल पाहूं।

10. **श्री केशव कुमार टण्डन , ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ पर्यावरण संरक्षण के बात चलथे हमर गांव में 1 नही 10 खदान हे सब खदान ल बंद करे के मुद्दा हमर गांव वाले हे लेकिन ये तो बंद हो नहीं सके। 4 तारीख को का होईस 2 बजे से 4 बजे तक यहां बैठक होईस । खदान एक बार चलिस नहीं चलिस 4 बजे के बाद जब यहां के अतिथिगण मन चल दिस हमर गांव में ब्लास्टिंग होईस अरे ब्लास्टिंग होना रिहीस त अभी काबर नहीं होवथे। हमर गांव म अतका प्रदूषण हे, जिता जागता उदाहरण मोर घर हे एक घंटा मोर घर म बैठव अऊ पास के केशर ल चालू करवाओ तुम मन ल सबूत मिल जारी मोर घर म धूल आते। कपड़ा सुखाओ उहुमा धुल डस्ट आथे। सबों गांव में हरा भरा गार्डन हे हमर गांव में गार्डन का काम आथे घूरवा पटकाये हे। एनओसी के बात होइस सरपंच के पास जाके एनओसी ले लिस खदान खोलना हे, क्रशर खोलना हे तुम मन ला आपत्ति हे का कोई दावा आपत्ति के बैठक होथें नहीं होथे। अब बोलथो हरा–भरा होही रोड में डेली पानी डालही बोल देवव लेकिन आप मन तो कल चल दुहू। फिर एक घंटा बाद देखे ल आहु, एक हफ्ता दो हफ्ता आहु फिर नहीं आहु। अभी हमर गांव में सीमेंट फैक्ट्री हादसा मे बुजुर्ग आदमी खतम होगे। का होई कुछु नही । क्रशर बंद हो करके इहां चक्का जाम होगे। लेकिल अभी तक कुछु नहीं होथे कार्यवाही। भगवान करे 10–12 ठक आउ क्रशर खुल जाये पूरा के पूरा गांव ब्लास्टिंग हो के मर जाए।

11. **श्रीमती बहुरा बाई , ग्राम– गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ कुछ लोग 20 एकड़ खेत बेचकर सुख सुविधा का साधन जुटा रहे हैं। ब्लास्टिंग से घर जर्जर हो रहा है। पैसे की लालच में जमीन बेच दिया गया है। कुछ लोग जुआं खेलते है।

12. **श्रीमती रामकुंवर, ग्राम– गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ में हां वार्ड 20 के पंच हूं। 15–20 साल होगे हमर गांव में खदान खुले डॉमर फैक्ट्री ल छोडके कोनो से पैसा नहीं ले हों।

13. **श्री तिहारूराम नौरंगे , ग्राम– गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मोला काम धाम मिलत नहीं हे खदान खुलही काम मिलही खदान बंद नहीं होना चाहिए त मैं हम मन ल कोई आपत्ति नहीं हे।

14. **श्री महासिंग जांगड़े, ग्राम– गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं कहना चाहत हो उमेश भइया के खदान चलना चहिये उमेश भैया के यहां काम करें हो मैं, धमानी भैया के यहां भी करे हों खदान ल चलना चहिये खदान सही तरीका ले चलना चहिये पत्थर जो उडथें धमका जो होवथे कम होना चाहिये हम खदान जाये बर तैयार हन।

15. **श्री अनिल, ग्राम– सेलूद, जिला–दुर्ग।**

➢ ग्राम की मुख्य समस्या है बेरोजगारी, गांव में नए उद्योग खुलने से बेरोजगारी की समस्या दूर होगी । उद्योग खुलने से गांव मे रोजगार आएगा, गांव का विकास होगा। रही बात पर्यावरण प्रदूषण की उसका निवारण किया जा सकता है। यहि बात कहते हुवे धन्यवाद कहता हूं।

16. **श्री नरोत्तम पाल , ग्राम– गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ यहां पर सब रोजगार के बात करथे हमला रोजगार मिले रोजगार मिले। कहां के निवासी हो जो रोजगार मिले, का वोहा धूल खाथे, का वोला पानी के समस्या होवथे। सब समस्या तो हम मन ल होथे। गांव वाले मन ल धूल हम खाथन। साबित करके दिखावे कतना 75 प्रतिशत ला रोजगार मिले हे। अगर अगर अइसे कुछ हे तो हम मन सहमत हन। अगर हम मन ल तकलीफ होथे त पानी के व्यवस्था करावे। पर्यावरण के बात होईस तो हमला दिखाये कहां कतना जंगल कोन मेर पेड लगाये हे। क्या आप बताएंगे जो हम लोग विरोध कर रहे हैं उस पर क्या हुआ। गांव म ब्लास्टिंग करा दे या पूरा गांव कहीं उठा के फेक दे या तो खदान को बंद करा दो समस्या का समाधान होना चाहिए, धन्यवाद।

17. **श्री धनंजय वर्मा, ग्राम– गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि खदान मालिकों से भी यहां बुलाकर के अपना विचार रखे ताकि हम लोग भी देखे की उनकी सोच हमारे प्रति किस प्रकार की है। मै निवेदन चाहूंगा जो भी खदान मालिक जो पीछे बैठे है आकर अपने विचार रखे। उनसे भी वार्तालाप किया जाए।

18. **श्री निलेश कुमार गनीर, सरपंच, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। गांव में खदान से समस्या नहीं है। वर्तमान में जितने खदान संचालित है। सभी खदानों में हैवी ब्लास्टिंग बेहिसाब किया जाता है न पंचायत को सूचना दी जाती है न ब्लास्टिंग में कोई रोकथाम अपनाया जाता। बड़े बारूद लगाकर हैवी ब्लास्टिंग कर दिये जाते हैं समस्या यह है कि गांव में कंपन बहुत होता है, घर हिल जाता है। बारूद से इतना हैवी ब्लास्टिंग होती है जिसके संबंध में पंचायत को कोई सूचना नहीं दी जाती है। धूल बहुत ज्यादा मात्रा में सड़क में उड़ती है। सड़क मे, घरों मे, बहुत समस्या होती है। ग्राम पंचायत द्वारा लगातार लिखित रूप से कोई जवाब नहीं दिया जाता। क्या खदान वाले किसी उपाय का पालन करते है। जिससे धूल मिट्टी कम फैले। खदान किसानों की जमीनों से लगी हुई जिसमें धूल बैठ जाता है । 60 एकड़ जमीन में धूल मिट्टी रहती है । पानी की समस्या है, पानी की समस्या से गुजर रहे है। पर्यावरण का जो पैरामीटर है अभी संचालित होने वाले खदान के लिए भी वही नियम है पहले संचालित हुवे खदानों को लिए भी वही नियम है। पूर्व में जितने संचालित पत्थर खदाने हैं उनको पर्यावरण के नियम का पालन कराया जाए, उसके बाद एनओसी दी जाए। हम कैसे आश्वस्त होंगे की पर्यावरण के नियम का पालन किया जा रहा है हम आश्वस्त नही है। दूसरी बात, समस्या गांव में रोजगार है रोजगार नाम मात्र मिलता है 12–12 घंटा काम करने की मांग करते हैं। बाहर से मजदूर लाकर काम करवाते हैं और गांव वालों से 12 घंटे काम करने को बोलते है। कौन काम करेगा। हम धूल डस्ट झेल रहे है । वो जो बाहर के सेलूद के हैं मजदूर वहीं जाकर अपने खदानों में काम करें। आप सभी लोग 4 तारीख की जनसुनवाई में उपस्थित थे आज भी वही नागरिक उपस्थित हैं। किसानों की फसल की रक्षा के लिए व्यवस्था बनाओ, सहयोग करो। ग्राम पंचायत से किसी भी चूना पत्थर खदान को एनओसी नहीं दिया गया है। वर्तमान में 1 डामर प्लाण्ट संचालित है जिसे पर्यावरण को मानक मानकर एनओसी दिये हैं। पर्यावरण के

पैरामीटर का पालन कराया जाए। 4 तारीख को जिस खदान की जनसुनवाई हुई उसका परिवहन कहां से होगा वहां तो रोड नहीं है। हम आश्वस्त नहीं हैं। वर्तमान में जितने भी खदान संचालित है सभी को पर्यावरण के नियमो का पालन कराया जाए। अन्यथा पर्यावरण की स्वीकृति को निरस्त किया जाना चाहिए। नहीं तो हम विरोध करेंगे। ग्राम सभाएं लगाई जाती है जिसमें कोई भी नहीं आता धन्यवाद।

19. **श्री मिट्ठू कुमार, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मै इसी गांव का निवासी हूं। हमारे महोदय जी ने अभी बोलो है यह जो ग्रामसभा का मिटिंग होता है उसमें कोई नहीं जाता है। ग्रामसभा की मिटिंग में 100 प्रतिशत में 10 प्रतिशत ही लोग जाते होंगे उस मिटिंग को पंचायत लोग ही निर्धारित करते है, गांव वालों से नहीं पूछते। अभी डॉमर फैक्ट्री की बात हुई, डॉमर फैक्ट्री वालों को एनओसी दी गई है क्या गांव वालों को उस मिटिंग में बुलाए। क्या खदान वालों ने कभी हमको 2 हजार रूपये दिये हैं, यह गलत बात है। कोई भी एनओसी ग्रामसभा में बुलाकर के इन लोगों ने नहीं दिया है। पंचों के साथ मिलकर एनओसी दिया गया है। गांव के नागरिकों के सामने एनओसी दिया जाए। पंचों के साथ मिलकर एनओंसी नहीं देना चाहिए। यही कहते हुवे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

20. **श्री झम्मन कुमार , ग्राम–सेलूद, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं ग्राम सेलूद का निवासी हूं। गांव की मुख्य समस्या बेरोजगारी की है। गावं में उद्योग खुलेंगे तभी रोजगार आएगा, गांव का विकास होगा। रही बात पर्यावरण प्रदूषण की तो इस समस्या का भी समाधान हो सकता है। मैं भी एक खदान का कर्मचारी हूं। कोरोना के समय जब लॉकडाउन हुआ तो भी हमें निश्चित समय मे पेमेन्ट मिलता था । इन्ही से सर हमारा परिवार चलता है। अभी कुछ लोग कह रहे थे रोजगार मिलना चाहिए कोई अगर काम करना चाहेगा तभी तो उनको रोजगार मिलेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं धन्यवाद।

21. **श्री किशन हिरवानी , ग्राम–अचानकपुर, जिला–दुर्ग।**

➢ मे अधिकारी मन से सवाल पूछना चाहूं पर्यावरण प्रदूषण के जो एनओसी देथो ओखर बार कितना बार खदान में जानकर देखथो की वो पर्यावरण के सही पालन करथे कि नही। आज चुनकट्टा, सेलूद, अचानकपुर, गोण्डपेंड्री में इतना सारा खदान हे । अभी एक साथी बोलत रिहिस बहुत झन ल रोजगार मिले हे ये गांव म कितना आदमी ल रोजगार मिले हे गांव वाले बता सकथे। बहुत सारा खदान में जेखर किनारा में नहर हावे मुश्किल से 10 मीटर के दूरीहा म। एनओसी कोन हिसाब से देथो। आप मन बता सकथो। अचानकपुर में एक खदान हे जो नहर से 5 मीटर के दूरी म हे जब वहां ब्लास्टिंग होथे तो वहां के पत्थर नहर म चले जाथे। किसान मन ल खुद जाके ओला निकाले ल पडथे। एक दिन मुड़पार म रह के देखव प्रदूषण का होथे पता चल जाही। गांव म अभी जा के देखव तो समझ आही धन्यवाद।

22. **श्री मेघनाथ निषाद, सुपरवाइजर खदान, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मेरे को उमेश शर्मा खदान में काम करते 16 साल हो गया है । वह अपने गांव के लोगो को ही प्राथमिकता देते हैं गांव के लोग जब काम नही आते तब बाहर से काम

करने के लिए बुलाते है। कोरोनाकाल में काम बंद होने के बाद भी सभी लोगो को पेमेंट किया। अभी जो बेरोजगारी की समस्या है प्लाण्ट चालू होगा तभी रोजगार मिलेगा। जो पर्यावरण की समस्या है धूल है तो उसका समाधान किया जा सकता है।

23. श्री रोहित सोनवानी , ग्राम– गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।

➢ पर्यावरण के तहत जो एनओसी देना चाहथों ओखर लिए रोड नही हे जो आबादी बस्ती, पुराना बस्ती हे, और जो रोड हावे ओला पीडब्लूडी बनाये हे। वो रोड में जो 25 झन गरीब आदमी जो प्रधानमंत्री योजना से घर बने हे। ओखर पास आउ जमीन हे त वो रोड जाही त जाही कहां पहली ओखर समस्या के हल करव। आप मन एक बार जाकर देखव अउ खदान मे 100 पेड़ लगे हे का मोर हिसाब से 10 पेड होही। अउ अभी कोन से हिसाब कोन कोन कतना झन पर्यावरण के समस्या के पालन नही करे हे। अभी जो खुलही ते करही तुम मन बताओ। अपन सुविध बर बस्ती के रोड ल तोड़थे। पिछले दिन कुछ खदान मालिक मन ह पीडब्लयूडी वाले आये रिहिस। गांव मे 25 परिवार हे ते कहां जाही सबसे बड़े समस्या हो रही ते सबसे ले बड़े समस्या हे। रही बात पर्यावरण ये तो जो खदान में काम करथे तेला बोलथो वो गांव वाले मन ल बोलथे कोई खदान वाले मन ल बोलथो आपस में लड़ाई वाले बात हे। नही तो चलो मोर साथ 16–17 खदान संचालित हे कौन खदान में कितना पेड लगे हे अभी पता चल जाही गांव वालों के भलाई ल देखते हुवे आप मेन समस्या के हल करव। किसान मन अपन जमीन ल छोड–छोड के गाड़ा जाए बर बनाए हे। सब आपस मे एक दूसर पर मन मे ब्लेम लगाथे। फायदा उठाये वाले फायदा उठावथे। गांव के समस्या ल देखव यही बोल के अपन वाणी ल विराम करथों।

24. श्री बलराम यादव , ग्राम– छांटा, जिला–दुर्ग।

➢ पर्यावरण से संबंधित जो खदान हे। खदान देना न देना आप सब से क्राइटेरिया में आथे । खदान खुले अच्छा बात हे, खदान से रोजगार मिलही और गांव के आदमी ल रोजगार चाहिए इसलिए तेमा 8 घंटा श्रमिक नियम है। दूसरी बात, पर्यावरण के निरीक्षण में आथो खदान म, कतका लेबर कहां के हावे एक बार सत्यापित कराव। यहां 30 से 35 प्रतिशत ऐसे हैं जो यहां के पंचायत के नहीं हे। गांव वाले मन ल रोजगार दे अउ हम खदान मालिक के माध्यम से गांव वाले मन ल रोजगार मे प्राथमिकता से 8 घंटा 12 घंटा काम न करावे। श्रमिक नियम का पालन करें। योग्यता के हिसाब से रोजगार दे। दूसर चीज दुर्ग, पाटन पर्यावरण से संबंधित हे खदान से गाडी निकलथे ओखर से धूल उडथे। कई बार हम मन एक साथ में जाके खदान संचालक मन ल बताएं। बैठक करे हन हम प्रशासन के आदमी मन संग, समस्या के हल जरूरी हे खदान खुलना नही खुलना बात के बात हे। फैक्ट्री लगही उद्योग आही खदान खुलही रोजगार मिलही ये सब चलते रही। गांव के विकास के लिए सड़क, पानी, बिजली सबो चाहिए। कोना खदान मे जाकर देखलौ। न पर्यावरण अधिकारी के नम्बर लिखाये हे न खदान के मालिक के नम्बर लिखाये हे न मालिक के ना लिखाये हे आप मन निरीक्षण करे ल आवो। की नई आप मन जानव हमला लगथे आथव, काबर की पर्यावरण विभाग ऐसे विभाग हे जो लोगों के स्वास्थ्य से जुडे हे। यहां स्वास्थ्य शिविर लगे रिहिस काबर आईस जान लेव। खदान से निकले वालु धुआं, डामर फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं के कारण। तीसरा बात

जो खदान खुलगे ठीक हे पर्यावरण एनओसी मिलगे वहु ठीक हे जिम्मेदारी काखर हे ऐला तय करव। पर्यावरण के नियम के पालन होवथे कि नही का कार्यवाही होथे। पर्यावरण विभाग से पूछना चाहूं। कतना पेड लगे हे वो रेसियो ल बताए त मैं मान जाहूं। गांव वाले बोलथे खदान नही खुलना चाहिए। 15 साल में 15 ठक खदान खुलगे, और खुलह लेकिन मापनदण्ड पूरा करे के बाद खुलना चाहिए। जनसुनवाई हो ही जनता आहि फिर विचार के मतभेद होही। ब्लास्टिंग का मामला हे, गांडी चले के मामला हे धूल उडें के मामला हे कही न कहीं पर्यावरण आथे। काबर आज एक साल बाद खदान वाले मे पानी डारे बर मंजूर होथं ? कबार की दू ठक दुर्घटना हो चुके हे। यहां पर बेरिकेट्स कब से लगे हे। ऐसी स्थिति बनाव कि बेरिकेट्स लगे कोनो ल नुकसान न हो। गाडी धीरे चले धूल कम उडे। पानी डाले से समस्या के हल नहीं होही। समस्या के हल एक ही हे मापदण्ड का पालन करा। धूल की समस्या आउ पानी डालना नहीं हे सड़क बनाये पेड़ लगायें। सीएसआर भी होथे, सीएसाआर से का होथे तेला कोई जानबे नहीं करे। खदान वाले मन के मीटिंग लेना कबार नहीं बनिस सिर्फ विभाग के लापरवाही हे कोई ध्यान क्यों नहीं देथे। कामे ध्यान देथे। एनओसी देना हे। गांव वाले मन ले विचार लेके एनओसी देना चहिए, ऐसा फैसला लेना चहिए। जनहित में होवे काबर की हम मन ल परेशानी हे। पहली रास्ता बनाओ आए जाए के निवारण त कराव। जनहित ल ध्यान मे देखते हुवे निर्णय लेना चहिए धन्यवाद।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद अपर कलेक्टर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब अपर कलेक्टर जिला दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उद्योग की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री जगमोहन कुमार चन्द्रा द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :–

- जैसा कि त्रिवेणी बंजारे जी ने कहा था कि माइन्स चालू होने चाहिए लेकिन रूल्स भी फालो होने चाहिए। यदि खदान प्रारंभ होगा तो जितने भी रूल्स हैं उनका पालन किया जाएगा। डस्ट सप्रेशन के लिये पेड़ लगाया जायेगा, हरित पट्टी का निर्माण खदान के चारों तरफ 7.5 मीटर जो जगह होती है में किया जाएगा। वह हरित पट्टी के निर्माण के लिए होती है। तथा पौधों की सुरक्षा के लिए पौधों को फेंसिंग के माध्यम से सुरक्षित किया जाएगा। रोड़ के दोनों तरफ भी वृक्ष लगाया जाएगा। खदान प्रारंभ होने पर सभी नियम फॉलो किये जाएंगे।

- प्रेमलाल सागरवंशी जी ने कहा कि खदान के द्वारा रूल्स फॉलो नहीं किया जाएगा यह एक नई खदान है और प्रारंभ होने पर सभी नियमों का पालन किया जाएगा। जहां तक ब्लास्टिंग की बात है। यह एक छाटी खदान है। ब्लास्टिंग नहीं होगी ओर यदि

ब्लास्टिंग की आवश्यकता होगी तो वेट ड्रिलिंग पद्धति से ब्लास्टिंग की जाएगी। सभी नियमों का पालन किया जाएगा ताकि धूल उत्सर्जन कम हो।

- उमेश कुमार यदु जी ने कहा कि मै समर्थन करता हूं उद्योग को बढ़ावा मिले।
- उदय जोशी जी ने कहा धूल डस्ट ज्यादा है जिसके लिए हम बड़ी पत्ती वाले पौधों का रोपण प्राथमिकता से की जाएगी । रोजगार की बात है तो गांव वालों को पहले रोजगार में प्राथमिकता देंगे। यदि गांव वालों मे वह स्कील्ड नहीं होगी तो बाहरी व्यक्ति को काम पर रखेंगे।
- नरोत्तम पाल जी ने कहा सांस की समस्या होती है। रोजगार नहीं मिलता, खदान में गड्ढा है, पानी की समस्या होती है। यह तो नई खदान है सांस की समस्या जो मुख्य रूप से धूल के कारण होती है। धूल को नियंत्रित करने के लिए हरित पट्टी का निर्माण किया जाएगा और जो ट्रक वहां से निकलेगी उनको पूर्णरूप से तॉरपोलिन से कव्हर्ड किया जाएगा। जिससे आवाजाही में धूल कम होगी। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को ध्यान में रखकर ही वाहन चलाई जाएगी।
- मिठ्ठू राम जी ने कहा कि धूल मिट्टी से तकलीफ हो रहा है लेकिन खदान बंद नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग पौधा रोपण करेंगे और छः माही compliance repot पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालनार्थ पर्यावरण विभाग को प्रस्तुत की जाएगी।
- रामेश्वरी जी ने कहा धूल डस्ट जो उड़ रहा है वह खदान मालिकों के द्वारा शासन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, सही मूल्यांकन होना चाहिए चूंकि यह एक नई खदान है। खदान पालन होने पर सभी नियमों का पालन किया जाएगा और compliance report पर्यावरण विभाग को भेजी जाएगी।
- केशव कुमार टंडन जी ने कहा 10 खदाने हैं सभी से धूल डस्ट निकल रही है हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है और नियम के पालन नहीं हाते है तो इसके लिए हम लोग धूल की जितनी पैरामीटर है उसका पालन करेंगे।
- महासिंग जांगडे जी ने कहा कि मैं खदान में काम किया हूं धूल धमाका कम हो तो, उसके लिए हमने व्यवस्था की है कि ब्लास्टिंग दिन में एक बार होगी। 2 से 3 बजे का समय निर्धारित किया जाएगा। ब्लास्टिंग से पहले हुडर के माध्यम से सचेत किया जाएगा। कि ब्लास्टिंग होने वाली है तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में खदान के मजदूरों द्वारा हाथ में लाल कपउे लेकर खदान के चारों ओर खडे रहेंगे ताकि कोई भी अज्ञात व्यक्ति होगा तो उसे पता चल जाएगा कि ब्लास्टिंग होने वाली है।
- अनिल जी ने कहा कि खदान खुलना चाहिए । पर्यावरण के नियम का पालन होना चाहिए।
- नरोत्तमपाल जी ने कहा कि धूल ज्यादा उडता है। रोजगार गांव वालों को दें, पानी की समस्या का समाधान करें। इसके लिए खदान की गहराई 10.5 मीटर से ज्यादा नहीं कि जाएगी रोजगार के लिए गांव वालों को ही पहली प्राथमिकता दी जाएगी।

- धनंजय वर्मा जी ने कहा कि खदान मालिकों को ध्यान देना चाहिए और उन्हें ये सारी चीजे फालों करनी चाहिए और खदानें पर्यावरण के सभी शर्तों के आधार पर स्वीकृति दी जाएगी और सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा।

- नीलेश कुमार गनीर जी ने कहा है कि हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि इस खदान के प्रस्ताव में बताया गया है कि हैवी ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। पानी के माध्यम से वेट ड्रिलिंग के द्वारा ब्लास्टिंग की जाएगी वह भी लाईट ब्लास्टिंग के माध्यम से की जाएगी। गांव को सूचित करने के बाद ही ब्लास्टिंग की जाएगी। गांव तक बारूद की गंध आती है तथा ब्लास्टिंग के पूर्व गांव वालों को सूचना नही दी जाती है। इसके लिए हमने प्रपोस किया है कि ब्लास्टिंग दिन में एक बार एक निश्चित समय में की जाएगी तथा गांव वालों को हुडर के माध्यम से सूचना दी जाएगी। धूल बहुत ज्यादा उड़ता है जिसका प्रमुख कारण ब्लास्टिंग और परिवहन है। परिवहन के लिए व्यवस्था की जाएगी कि गाड़ियों को तारपोलिन से ढ़ककर परिवहन की जाएगी, गाडियों की गति कम रखी जाएगी तथा परिवहन के लिए ऐसे मार्गों का चयन किया जाएगा जहां से पक्की सड़की दूरी कम हो। सड़क के दोनों ओर बड़ी पत्ती वाली पौधों का रोपण किया जाएगा तथा धूल उत्सर्जन को रोकने हेतु सड़क पर जल छिड़काव का कार्य किया जाएगा। गाड़ियों की गति 20 किलोमीटर/घंटा से ज्यादा नही होगी जिससे धूल कम उड़ेंगे। पुरानी संचालित खदानों में पर्यावरण के नियमों का पालन किया जाए। चूंकि यह एक नई खदान है लेकिन पर्यावरणीय स्वीकृति की जो शर्तें होती है, उसका रिपोर्ट पर्यावरण विभाग को प्रति छः माह में जून एवं दिसम्बर को भेजी जाएगी यदि खदान की सडक गांव से होकर निकलती है तो ऐसे सड़क का निर्धारण किया जाएगा जहां से गांव की कम आबादी होगी।

- धम्मन कुमार जी ने कहा कि कोरोना काल में हमें रोजगार मिला है। यह अच्छी बात है। गांव में खदान खुलने से पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाएगा।

- मेघनाथ निषाद जी ने कहा कि खदाने 16 वर्षों से ज्यादा हो गई है लेकिन गांव वाले काम नहीं कर रहे है। इसीलिए बाहर से लोगों को लाया जाता है। इस खदान में गांव वालों को काम में प्राथमिकता दी जाएगी।

- रोहित सोनवानी जी ने कहा है कि पर्यावरण के तहत रोड नहीं है यह चीज है कि खदान प्रारंभ होने के पहले जिस रोड का चयन किया जाएगा वह कम आबादी वाले होंगे तथा पक्की सड़क होगी।

- बलराम यादव जी ने कहा कि खदान खुलना चाहिए गिट्टी मिल रहा है 8 घंटे रोजगार होना चाहिए। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि रोजगार 8 घंटे से ज्यादा न हो। जो भी मजदूर खदान में आ रहे है उनका प्रॉपर रिकार्ड मेंटेन किया जाएगा तथा उन्होंने यह भी कहा कि खदान से गाड़ी निकलती है तो धूल उडता है तो उसके लिए भी हम लोग हरित पट्टी का निर्माण करेंगे। खदान में रोड़ में जो ट्रक निकलेंगे तॉरपोलिन से ढ़ककर तथा आबादी क्षेत्र से उनकी गति 20 किलोमीटर के नीचे रखी जाएगी। हर खदान में फोन नम्बर होना चाहिए। तो इसके लिए हम जरूर ध्यान देंगे जो भी भी नई खदान का निर्माण कर रहे हैं उसमें प्रॉपर नोटिस बोर्ड डिस्प्ले होंगे वह मैटेन होंगे धन्यवाद।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 03 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 21 व्यक्तियों के द्वारा कुल 24 मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय में से कुल 61 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अपर कलेक्टर, जिला–दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर **02.37** बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

अपर कलेक्टर
जिला–दुर्ग